



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 25.02.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ बांदा और आस-पास के जनपदों में लगातार वाहन चोरी घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह को पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा पंजीकृत गैंग (D-52) के रूप में किया गया घोषित। गैंग के लीडर दिनेश प्रजापति द्वारा अन्य सदस्यों के साथ मिलकर चोरी की घटनाओं को दिया जाता है अंजाम। गैंग लीडर दिनेश पर विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं कई मामले।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने तथा संगठित अपराध को अंजाम देने वाले अभियुक्तों पर की जा रही कार्यवाही के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा जनपद बांदा और आस-पास के जनपदों में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह को वाहन चोरी का पंजीकृत गैंग घोषित किया गया है। गौरतलब हो कि जनपद बांदा के थाना बबेरु क्षेत्र के ग्राम तराया के रहने वाले दिनेश प्रजापति पुत्र बितानी द्वारा गैंग बनाकर सेठू तलैया थाना कोतवाली नगर निवासी अपने साथी रवि कुमार पुत्र मुन्नालाल व अन्य के साथ मिलकर संगठित रूप से वाहन चोरी तथा अन्य घटनाओं को अंजाम देते हैं, यही आपराधिक कृत्य इनके धनार्जन का पेशा है। पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा कार्यवाही करते हुए इस गिरोह को “वाहन चोरी का एक पंजीकृत आपराधिक गैंग(D-52)” के रूप में घोषित किया गया है। दिनेश प्रजापति इस गैंग का लीडर तथा रवि कुमार इस गैंग का सदस्य है। पुलिस द्वारा इस गैंग के अन्य सदस्यों की पहचान की जा रही है। गैंग के अभियुक्तों पर गैंगस्टर सहित अन्य धाराओं के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

अभियुक्तों का विवरण-

1. दिनेश प्रजापति पुत्र बितानी प्रजापति निवासी तराया थाना बबेरु जनपद बांदा। (गैंगलीडर)
2. रवि कुमार पुत्र मुन्नालाल निवासी सेठू तलैया अलीगंज थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा। (सदस्य)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त दिनेश प्रजापति उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 596/24 धारा 317(2)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 594/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 592/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0 222/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
5. मु0अ0सं0 119/19 धारा 306 भादवि थाना बबेरु जनपद बांदा।
6. मु0अ0सं0 364/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बबेरु जनपद बांदा।
7. मु0अ0सं0 321/21 धारा 435/336/504/506 भादवि थाना बबेरु जनपद बांदा।
8. मु0अ0सं0 379/21 धारा 323/352/504/506 भादवि थाना बबेरु जनपद बांदा।
9. मु0अ0सं0 08/23 धारा 354/452/504/506 भादवि थाना बबेरु जनपद बांदा।
10. मु0अ0सं0 54/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना बबेरु जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रवि कुमार उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 596/24 धारा 317(2)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 594/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 592/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0 222/24 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।